



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 30 जनवरी, 2026 ई०

माघ 10, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5

संख्या 366173/XXIV-5/2026

देहरादून, 30 जनवरी, 2026

अधिसूचना

प० आ०-03

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,

अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1966) की धारा-3 की उप धारा (1) के आधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय, इस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से छः मास की अवधि के लिये उत्तराखण्ड की विद्यालयी शिक्षा विभाग, जिसमें उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् भी सम्मिलित है, की समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्काल प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

2- उक्त अधिनियम की धारा-3 की उप धारा (2) के आधीन श्री राज्यपाल यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

आज्ञा से,

रविनाथ रामन,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 366174/xxiv-5/2026, Dehradun dated January 30, 2026, for general information.

No. 366174/xxiv-5/2026

Dated Dehradun, January 30, 2026

NOTIFICATION

Whereas the State Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient to do so the Governor in exercise of the powers under sub-section [1] of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act 1966 hereby prohibits with immediate effect strike IN ALL CATEGORIES OF STAFF OF UTTARAKHAND SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT INCLUDING UTTARAKHAND BOARD OF SCHOOL EDUCATION and under subsection [2] of section 3 of said Act directs that this order be published in the Gazette.

By Order,

RAVINATH RAMAN,
Secretary.